



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार 4 फरवरी, 2012 / 15 माघ 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2012

संख्या एच.एफ.डब्ल्यू-बी(ए)2-8/2003.-हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 21) की धारा 53 की धारा के उपबन्धों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् (साधारण) नियम, 2007 का प्रारूप, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए तारीख 19.9.2007 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधारण) समसंख्यक आधिसूचना, तारीख 16-8-2007 द्वारा, प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनसाधारण से इस निमित्त कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

“नियम”

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् (साधारण) नियम, 2011 है।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2003, (2003 का 21) अभिप्रेत है;
- (ख) “परिशिष्ट” से इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट अभिप्रेत है;
- (ग) “परिषद्” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् अभिप्रेत है;
- (घ) प्ररूप से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) “नियम” से हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् (साधारण) नियम, 2011 अभिप्रेत है;
- (च) “रजिस्ट्रार” से परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है; और
- (छ) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत हैं।

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **सह— चिकित्सीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए पात्रता मानदण्ड (मापदण्ड).**—(1) प्राईवेट क्षेत्र में मेडिकल प्रयोगशाला तकनीकी एवं मेडिकल विकिरण तकनीकी (डी0एम0एल0टी0) (डी0एम0आर0टी0) पाठ्यक्रम में कोई भी डिप्लोमा प्रारम्भ नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि, यदि राज्य सरकार ऐसा विनिश्चय करती है, तो ऐसे पाठ्यक्रम प्राईवेट सहभागिता रीति या प्राईवेट सेक्टर में, इस प्रयोजन के लिए पृथक्: अधिकथित शर्त के अधधीन अनुज्ञात किया जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर सह—चिकित्सीय संस्थानों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित सम्पूर्ण नीति के अधधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित संगठन पात्र होंगे :-

- (क) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र और संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय।
- (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित स्वायत्त निकाय।
- (ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य सरकारों के तत्स्थानी अधिनियमों के अधधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी; और
- (घ) भारतीय न्यास अधिनियम 1882, या वक्फ अधिनियम, 1995 के अधधीन रजिस्ट्रीकृत लोक, धार्मिक या पूर्त न्यास।

4. सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना हेतु वांछनीयता और साध्यता की बाबत राज्य सरकार द्वारा साध्यता प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व निबंधन और शर्तें—(1) अधिनियम की धारा 19 के उपबंध के अनुसार अभिप्राप्त राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवा कोई भी व्यक्ति सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना नहीं करेगा; और कोई सह-चिकित्सीय संस्थान किसी अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम नहीं खालेगा या अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में इसकी प्रवेश क्षमता को नहीं बढ़ाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्थान, उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन हेतु अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार परिषद् को स्कीम (योजना) प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्थान इस नियम के उपनियम (2) के अधीन स्कीम (योजना) प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार से साध्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति या सह चिकित्सीय संस्थान समय समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अधिकथित शर्तें पूर्ण करते हैं तो अनिवार्यता प्रमाण पत्र केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।

5. अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 8 या इन नियमों के अधीन अधिकथित निबंधन और शर्तों के अतिरिक्त सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा हेतु अर्हक मापदण्डः—पात्र संगठन अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेगा तथा नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करता हो :—

- (क) सह-चिकित्सीय शिक्षा आवेदक के मुख्य उद्देश्यों में से एक होगी।
- (ख) प्रस्तावित सहचिकित्सीय संस्थान को स्थापित करने हेतु परिषद् द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भूमि के प्लॉट के क्षेत्र का स्वामित्व और कब्जा आवेदक के पास होना चाहिए।
- (ग) प्रस्तावित स्थान (अवस्थान) पर प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना की वांछनीयता और साध्यता की बाबत साध्यता प्रमाण पत्र राज्य सरकार से अभिप्राप्त किया गया है तथा परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त क्लिनिकल सामग्री उपलब्ध होगी;
- (घ) प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना हेतु संबद्ध किए जाने की सहमति, आवेदक द्वारा, यथास्थिति, मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद् से अभिप्राप्त की गई है
- (ङ) आवेदक प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान के आसपास आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी अस्पताल का स्वामी है और उसकी व्यवस्था करता है तथा जो परिषद् द्वारा यथा अवधारित अध्यापन संस्थान में विकसित किए जाने के योग्य है;
- (च) सह-चिकित्सीय शिक्षा को, अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण करने हेतु आवेदक के पास परिषद् द्वारा यथा-आधारित छात्रों के प्रस्तावित स्थानों (इनटेक) के अनुरूप लड़कों और लड़कियों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं सहित और अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम है;
- (छ) सह-चिकित्सीय संस्थान, परिषद् द्वारा अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाओं के संबंध में पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु अपना समाधान करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश देगा;

- (ज) आवेदक के पास, विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान को स्तरोन्नत (अपग्रेड) करने या नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने या दोनों के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा यथा अवधारित अतिरिक्त बिस्तर और अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु साध्य और समयबद्ध विस्तारण कार्यक्रम है, ताकि प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान को अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर परिषद् द्वारा यथा अवधारित सामूहिक रूप से न्यूनतम विस्तर संख्या उपलब्ध कराई जाए;
- (झ) आवेदक के पास अध्यापन अस्पताल सहित, प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना और रख-रखाव हेतु आवश्यक प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं तथा इसकी आनुषंगिक सुविधाएं हैं ;
- (ञ) आवेदक अपनी वित्तीय स्थिति की बाबत परिषद् को तीन वर्षों की संपरीक्षा (आडिट) रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ; और
- (ट) सह-चिकित्सीय संस्थान राज्य सरकार के पक्ष में दस लाख रुपये प्रति पाठ्यक्रम की बैंक गारंटी देगा, जिसे निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, हिमाचल प्रदेश के पास गिरवी रखा जाएगा तथा जिसे सह-चिकित्सीय संस्थान जन शक्ति और उपस्कर सहित अपेक्षित अध्यापन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने की दशा में प्रवर्तित करवाया जाएगा।

छूट-पूर्वोक्त शर्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होगी:

परन्तु यह नियमित रूप से अपने योजना बजट/सहायता अनुदान में निधियों की व्यवस्था करने के लिए परिवर्तन देगी जब तक इसके द्वारा उपदर्शित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था नहीं कर दी जाती है।

6. प्ररूप औरैर प्रक्रिया:—इन नियमों के नियम 3 और 5 में यथा अधिकथित पात्रता और अर्हक मापदण्डों की पूर्ति के अधीन आवेदक द्वारा नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना हेतु स्कीम/योजना निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत की जाएगी:—

भाग—क

(1) स्कीम में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां और प्रस्तावित सीन (अवस्थान) पर सह चिकित्सीय संस्थान की स्थापना की वांछनीयता और प्रथमदृष्ट्या साध्यता की बाबत सूचना अंतर्विष्ट होगी :—

- (क) पात्रता मानदण्डों (मापदण्डों) के निर्देश-निबंधन के भीतर आवेदक संगठन के गठन की बाबत सूचना।
- (ख) आवेदक की बुनियादी (मूल) अवसंरचनात्मक सुविधाओं और प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताओं की बाबत सूचना।
- (ग) आवश्यक प्रमाण पत्रों की उपलब्धता और नियम-5 के अधीन अर्हक मानदण्डों (मापदण्डों) में यथा प्रस्तावित सहमति

भाग—ख

(2) स्कीम में नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना हेतु विस्तृत विवरण अंतर्विष्ट होगा और प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियों सहित विस्तृत प्रौद्योगिक आर्थिक साध्यता रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी:—

- (क) नए सह-चिकित्सीय संस्थान का नाम और पता।

- (ख) प्रस्तावित सीन (अवस्थान) पर नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना की वाछंनीयता और प्रथमदृष्टया साध्यता, बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरण विश्लेषण, प्रशिक्षित सह चिकित्सीय जन शक्ति की उपलब्धता तथा अन्तराल विश्लेषण।
- (ग) स्थलाकृति, भूखण्ड-आकार, अनुज्ञेय फर्शी स्थान (क्षेत्रफल) सूचक, भूमि विस्तार, भवन की उंचाई, मार्ग-पहुंच, लोक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत-प्रदाय, जल-प्रदाय, मल-संयोजन, दूरभाष लाईनो इत्यादि सहित स्थल विशिष्टता और बाह्य संयोजन की उपलब्धता।
- (घ) शैक्षिक कार्यक्रम सहित छात्रों की वार्षिक भरती (ग्रहण) प्रवेश मानदण्ड (मापदण्ड) और प्रवेश की पद्धति, आरक्षण, सीटों (स्थानों) का अधिमानी आंबटन, यदि कोई हो) तथा विभाग-बार और वर्ष बार अध्ययन की पाठ्यचर्चा।
- (ङ) कार्यमूलक (कृत्यिक) कार्यक्रम:- विभाग बार कार्यमूलक (कृत्यिक) अपेक्षा और क्षेत्र वितरण तथा कक्ष बार बैठने की क्षमता सहित।
- (च) उपस्कर कार्यक्रम: मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची के साथ चिकित्सीय, वैज्ञानिक और सहबद्ध उपस्करों की कक्षबार सूची सहित।
- (छ) जनशक्ति कार्यक्रम: अध्यापन कर्मचारीवृन्द (स्टाफ), पूर्णकालिक तकनीकी, प्रशासनिक और आनुषंगिक कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) सहित राज्य सरकार के पैमाने के अनुसार वर्गवार न्यूनतम भर्ती मानदण्ड (मापदण्ड) और वेतन अवसंरचना।
- (ज) भवन कार्यक्रम: सह-चिकित्सीय संस्थानों के भवन बार निर्मित क्षेत्र, संकाय और कर्मचारिवृन्द, आवास कर्मचारीवृन्द और छात्र छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय, सभा भवन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सांस्कृतिक तथा मनोरंजन केन्द्र, खेल प्रक्षेत्र इत्यादि सहित।
- (झ) योजना और अभिन्यास सह-चिकित्सीय संस्थान प्रक्षेत्र का मास्टर प्लान, अभिन्यास योजना, सह-चिकित्सीय संस्थान की सेकशनज की उंचाई और फर्शवार क्षेत्र गणना तथा अनुषांगिक बैंककारी इत्यादि सहित।
- (ञ) अवस्थाकरण (प्रावस्थाकरण) अनुसूचीकरण: भवन के प्रारंभ और समापन, अभिकल्प, स्थानीय निकाय के अनुमोदन को उपदर्शित करते हुए गतिविधियों की मास बार अनुसूची सहित; सिविल निर्माण और उपस्कर, कर्मचारिवृन्द की भर्ती तथा छात्रों के स्थानों (इनटेक) के प्रस्ताव के अनुरूप अवस्थावद्ध नियुक्ति।
- (ट) परियोजना लागत: भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, चिकित्सीय वैज्ञानिक और सहबद्ध उपस्कर, फर्नीचर और फिक्चर की पूंजीगत लागत सहित प्रारम्भिक तथा पूर्व प्रवृत्त व्यय।
- (ठ) परियोजना लागत के वित्तपोषण के साधन: आवेदक के अंशदान सहित, अनुदान और दान, साम्या, ऋण और अन्य स्त्रोत, यदि कोई हों।
- (ड) राजस्व ग्रहण फीस संरचना और विभिन्न स्त्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व सहित।
- (ढ) व्यय ग्रहण क्रियाशील (प्रचालन) व्ययों और मूल्य ह्रास सहित।
- (ण) क्रियाशील (प्रचालन) परिणाम: आय विवरण, रोकड-प्रवाह विवरण और प्रक्षेपित तुलन पत्रों सहित:-

भाग—ग

(3) विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान को स्तरोन्नत करने या अतिरिक्त सह-चिकित्सीय संस्थान स्थापित करने जिससे कि प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थानों का अवस्थाबद्ध विकास एक साथ हो, या दोनों के लिए स्कीम (योजना) में विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान और प्रस्तावित विस्तारण स्कीम (योजना) का ब्यौरेवार वर्णन अन्तर्विष्ट होगा। विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान के बारे में स्कीम का यह भाग निम्नलिखित विशिष्टियों सहित विस्तृत प्रौद्योगिक आर्थिक साध्यता रिपोर्ट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा:

- (क) विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान का नाम और पता।
- (ख) बिस्तर-संख्या, क्लिनिकल और सह क्लिनिकल शिक्षा शाखाओं का निर्मित क्षेत्र, विस्तर-वितरण, स्थापत्य और अभिन्यास योजनाओं, चिकित्सा और सहबद्ध उपस्कर की सूची, अस्पताल सेवाओं की क्षमता और आकृति, प्रशासनिक सेवा तथा अन्य आनुषांगिक और खेल सेवाओं, वर्ग-वार कर्मचारीवृन्द संख्या इत्यादि सहित विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान और इसके आनुषांगिक भवन के बारे में ब्यौरे।
- (ग) भूमि विशिष्टियों, प्रस्तावित शैक्षिक संस्थाओं से दूरी, भूखण्ड-आकार, प्राधिकृत भूमि-उपयोग (भू-उपयोग) भूपरिचय मृदा दशाओं (भूमि की दशा) पहुँच-मार्ग, लोक परिवहन की उपलब्धता, विद्युत प्रदाय, जल प्रदाय, मलवहन संसर्ग, दूरभाष लाईनों इत्यादि सहित विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान के विस्तारण या नए सह-चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने के लिए अतिरिक्त भूमि के बारे में ब्यौरे।
- (घ) स्तरोन्नत (अपग्रेडिड) चिकित्सीय कार्यक्रम विस्तारण योजना के अधीन परिकल्पित अतिरिक्त क्लिनिकल और सह-क्लिनिकल विद्या शाखाओं सहित।
- (ङ) स्तरोन्नत (अपग्रेडिड) क्रियाशील (कृत्यिक) कार्यक्रम: विशेषज्ञता वार और सेवा-वार क्रियाशील (कृत्यिक) अपेक्षाएं तथा क्षेत्र वितरण सहित; और विशेषता वार बिस्तर वितरण।
- (च) भवन कार्यक्रम: कर्मचारिवृन्द आवास, कर्मचारीवृन्द और छात्रावास तथा अन्य आनुषांगिक भवन सहित सह-चिकित्सीय संस्थान के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के बारे में ब्यौरे सहित।
- (छ) योजना और अभिन्यास: अभिन्यास योजनाओं प्रशाखा उत्थापन (खण्ड-उच्चाईयों) और सह-चिकित्सीय संस्थान की फर्श वार क्षेत्र गणना तथा आनुषांगिक भवन के साथ-साथ, यथास्थिति, सह-चिकित्सीय संस्थान प्रक्षेत्र (भवन समूह) की स्तरोन्नत महायोजना या प्रस्तावित नए सह-चिकित्सीय संस्थान की महायोजना सहित।
- (ज) उपस्कर जन शक्ति कार्यक्रम: चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्कर की स्तरोन्नत कक्षवार सूची सहित परिमाणों और विनिर्देशों की अनुसूची।
- (झ) स्तरोन्नत जनशक्ति कार्यक्रम: चिकित्सीय, सह चिकित्सीय और अन्य कर्मचारिवृन्द के वर्ग-वार वितरण सहित।
- (ञ) विस्तारण योजना का अवस्थाकरण और अनुसूचीकरण: भवन-डिजाइन के प्रारंभ और समापन, स्थानीय निकास के अनुमोदन को उपदर्शित करते हुए गतिविधियों की मास-वार मास्टर अनुसूची सहित; प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्थान के विकास के अनुरूप सिविल निर्माण, अस्पताल सेवायें, चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्कर की व्यवस्था, कर्मचारिवृन्द की भर्ती इत्यादि।

- (ट) विस्तारण योजना की परियोजना लागत: भूमि की अतिरिक्त लागत, भवन, अस्पताल सेवाएं, चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्कर, फर्नीचर आरै फिक्सचर (फुटकर और जुड़नार) व्ययों सहित।
- (ठ) विस्तारण योजना की लागत: के वित्त पोषण के साधन: आवेदक के अंशदान अनुदान और दान, साम्या, ऋण तथा अन्य स्रोत, यदि कोई हो, सहित।
- (ड) राजस्व ग्रहण: विभिन्न स्रोतों से आय और सेवा भार तथा वार्षिक राजस्व के ब्यौरे सहित।
- (ढ) व्यय ग्रहण: प्रचालन व्यय, वित्तीय व्यय और मूल्य ह्रास सहित।
- (ण) प्रचालन परिणाम: आय विवरणियां रोकड—प्रवाह विवरण और तुलन पत्रों सहित।

7. आवेदन प्रपत्र और फीस:—सह—चिकित्सीय संस्थान की स्थापना करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 19 के अधीन प्ररूप—क में रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् पुराना दन्त महाविद्यालय भवन, शिमला—171001 को केवल रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके साथ दो हजार रूपए की फीस हिमाचल प्रदेश सह—चिकित्सीय परिषद् शिमला के पक्ष में, किसी अनुसूचित बैंक में आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जाएगी। सह चिकित्सीय संस्थानों के निरीक्षण के लिए फीस 25,000/— रूपए होगी। निरीक्षण फीस हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद्, दन्त चिकित्सा भवन, नजदीक आई0जी0एम0सी0 शिमला—171001 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक में आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में संलग्न की जाएगी। सह—चिकित्सीय संस्थानों के निरीक्षण के लिए फीस 25,000/— रूपए होगी। निरीक्षण फीस हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद्, दन्त चिकित्सा भवन, नजदीक आई0जी0एम0सी0 शिमला—171001 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक में आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाएगी। एक निरीक्षण से परे, सामान्य निरीक्षण फीस ऐसी होगी जैसी परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।

8. रजिस्ट्रीकरण.— (1) समस्त प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदन को परिषद् द्वारा मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। आवेदन का रजिस्ट्रीकरण केवल आवेदन के मूल्यांकन हेतु स्वीकृति संज्ञापित करेगा। इसे, किसी भी परिस्थिति में, आवेदन की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अनुमोदन नहीं समझा जाएगा।

(2) अपूर्ण आवेदन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा और उसे परिषद् द्वारा आवेदक को संलग्नकों तथा आदेशिका फीस सहित वापस किया जाएगा।

9. विहित अवधि.— अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करते हुए, योजना प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों और संस्थानों द्वारा परिषद् द्वारा अपेक्षित किसी सचू ना/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों को देने में लिए गए समय को उपवर्जित किया जाएगा।

10. परिषद् द्वारा मूल्यांकन.—परिषद् प्रथमतः प्रस्तावित (स्थान) अवस्थान पर सह चिकित्सीय संस्थान को स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथमदृष्ट्या साध्यता को सिद्ध करने हेतु आवेदन के भाग—क और योजना के लिए आवश्यक साधन और अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए आवेदक की क्षमता का मूल्यांकन करेगी। परिषद् आवेदन के प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते हुए आवेदक से ऐसी और सूचना/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की अपेक्षा कर सकती है जैसी आवश्यक समझी जाए या सूचना को सत्यापित करने हेतु भौतिक निरीक्षण कर सकती है।

11. अनुज्ञा प्रदान करना.— (1) परिषद्, मूल प्रस्ताव में ऐसी शर्तों और उपांतरों सहित जो आवश्यक समझे जाएं, नए सह चिकित्सकीय संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदक को आशय पत्र जारी कर सकती है। पूर्वोक्त शर्तों और उपांतरों की स्वीकृति के पश्चात् और अपेक्षित राशियों के लिए बैंक गारंटियों का पालन (सम्पादन) करके आवेदक द्वारा दिए जाने पर अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

(2) औपचारिक अनुज्ञा में सह चिकित्सीय संस्थान की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं के विस्तारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम सम्मिलित हो सकते हैं। छात्रों के प्रथम बैच को प्रवेश देने से पूर्व अनुज्ञा में भवन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, चिकित्सीय और सहबद्ध उपस्करों, संकाय और कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) इत्यादि की बाबत पूरी की जाने वाली प्रारंभिक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश सम्मिलित हो सकते हैं। अनुज्ञा आगामी वर्षों के दौरान छात्रों की ग्राह्यता के अनुरूप आवेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्य भी उपदर्शित कर सकती है।

(3) नए सह चिकित्सीय संस्थानों की स्थापना करने और छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा प्रारंभ में एक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी और वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के सत्यापन तथा बैंक गारंटी के पालन (सम्पादन) के पनु विधि मान्यकरण के अध्याधीन वार्षिक आधार पर नवीकृत की जा सकती हैं। अनुज्ञा के नवीकरण की प्रक्रिया तब तक जारी रह सकती है जब तक कि सह चिकित्सीय संस्थानों की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं का विस्तारण पूर्ण नहीं हो जाता तथा परिषद् द्वारा सह चिकित्सीय संस्थान को औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की जाती। जब तक विकास के विभिन्न पगों हेतु अपेक्षाएं इसके समाधानपद्धत रूप में पूर्ण नहीं की जाती तब तक आगामी प्रवेश, किसी भी स्तर पर परिषद् द्वारा रोके जाने के लिए दायी होंगे।

(4) परिषद् प्रस्तावित सह चिकित्सीय संस्थानों से, कोई अन्य सूचना, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे, अभिप्राप्त कर सकती है।

12. पैरा-क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन.—पैरा क्लिनिकल स्थापन को चलाने हेतु आशयित प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पैरा क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण हेतु परिषद् को विनियमों द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन करेगा और इसके साथ हिमाचल प्रदेश पैरा चिकित्सीय परिषद् पुराना दन्त महाविद्यालय, नजदीक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला-171001 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक पर आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विहित फीस संलग्न की जाएगी।

13. पैरा क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र.—(1) पैरा क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप-ख में परिषद् को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा और पैरा क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए तीन मास की अवधि परिषद् द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रारंभ होगी।

(2) अधूरा आवेदन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा संलग्नकों सहित आवेदक को वापस किया जाएगा।

(3) सभी प्रकार से पूर्ण पाया गया आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा, पैरा क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, पैरा क्लिनिकल स्थापन के राज्य रजिस्टर में प्ररूप ज में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, तीन मास की समय सीमा की गणना करते हुए, प्राधिकारियों और आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में, परिषद् द्वारा मांगी गई किसी सूचना/स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों को देने में लगाया गया समय अपवर्जित किया जाएगा।

14. पैरा क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए निबंधन और शर्तें.—पैरा क्लिनिकल स्थापन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, परिषद् द्वारा आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व पैरा क्लिनिकल स्थापन को चलाने हेतु आशयित प्रत्येक व्यक्ति निम्नलिखित निबंधन और शर्तें पूर्ण करेगा, अर्थात् :—

(क) उसके पास मान्यता प्राप्त सह चिकित्सीय अर्हताएं होनी चाहिए।

(ख) उसे हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर निवास करना या पैरा क्लिनिकल स्थापन चलाना चाहिए।

- (ग) वह अठारह वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए ।
- (घ) वह अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए ।
- (ङ) वह विकृत चित्त का नहीं होना चाहिए ।
- (च) उसे किसी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए ।
- (छ) वह अधिनियम के अधीन या किसी विधि के अधीन नैतिक अद्यमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं होना चाहिए, या, यदि सिद्धदोष हुआ हो तो दोष सिद्धि से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत हो चुकी हो (बीत गई हो)।
- (ज) वह सरकार या किसी राज्य सरकार के उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण से पदच्युत किया गया नहीं होना चाहिए ।
- (झ) वह परिशिष्ट-1 में यथा उपबंधित लिखित और हस्ताक्षरित घोषणा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा ।
- (ञ) वह अच्छा चरित्र और नैतिक आचार बनाए रखेगा तथा ऐसा स्तर बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यवसायी, व्यवसाय और जनता के प्रति समान रूप से कर्तव्यबद्ध है ।
- (ट) वह मरीज के साथ जारकर्म या अनुचित आचरण करके या मरीज के साथ अनुचित सहयोजन बनाए रखते हुए अपनी वृत्तिक स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्यथा वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1956 का 102) के अधीन यथा उपबंधित अनुशासनिक कार्यवाई के लिए दायी होगा ।
- (ठ) वह परिशिष्ट-II में यथा विनिर्दिष्ट किसी पैरा क्लिनिकल स्थापन को चलाने के लिए सन्नियमों का पालन करेगा ।

15. अभिलेखों का अनुरक्षण. —(1). प्रत्येक पैरा क्लिनिकल स्थापन समस्त व्यक्तियों के अभिलेख बनाए रखेगा, —

- (क) यदि बाह्य रोगी के रूप में देखभाल और उपचार किया गया है तो प्ररूप-‘ग’ में :
- (ख) यदि अंतरंग रोगी के रूप में प्रवेश और उपचार किया गया है तो प्ररूप-“घ” में :
- (ग) यदि विशेषज्ञीय (विशिष्ट) अन्वेषण अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा किया गया है तो विशेष अन्वेषण की रिपोर्ट प्ररूप-ड0 में दी जाएगी ।
- (घ) यदि अन्वेषण नैतिक स्वरूपी है तो ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट प्ररूप-च में दी जाएगी; और
- (ड0) यदि नमूनों के लिए लेवल एकत्रित किए जाने हैं तो उन्हें प्ररूप-छ में एकत्रित किया जाएगा ।

(2) विशेषज्ञीय (विशिष्ट) अन्वेषणों की सूचियां परिशिष्ट-II के पैरा 12 में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

(3) प्रत्येक पैरा क्लिनिकल स्थापन उप नियम (1) में यथा वर्णित समस्त व्यक्तियों के द्विप्रतिक में अभिलेख रखेगा । प्रथम प्रति मरीज को दी जाएगी और दूसरी प्रति पैरा क्लिनिकल स्थापन द्वारा कम से कम पांच वर्षों के लिए या परिषद् द्वारा पैरा क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण करवाने तक, जो भी पूर्वतर हो, रखी जाएगी ।

16. रजिस्ट्रीकरण और फीस का नवीकरण.—(1) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रखे जाने वाले सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्ट्रार में सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अधिनियम की धारा 38 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला-171001 को प्ररूप-ज में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा किया जाएगा, तथा इसके साथ हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् शिमला-171001 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक पर आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में एक हजार रुपये की फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) किसी सह चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप-1 में जारी किया जाएगा तथा यह इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमाम्य होगा ।

(3) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सह चिकित्सीय व्यवसायी हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् शिमला-171001 के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक पर आहत मांग देय ड्राफ्ट के रूप में पांच सौ रुपये की फीस के संदाय पर प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकृत करेगा ।

(4) किसी सह चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को नवीकृत करने हेतु आवेदन उप-नियम (3) के अधीन रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् शिमला-171001 को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्ररूप-ट में किया जाएगा ।

17. रजिस्ट्रार के पृष्ठों का सत्यापन.—रजिस्ट्रार, सह चिकित्सीय स्थापन के राज्य रजिस्ट्रार को प्रयोग में लाने से पूर्व, इसमें अंतर्विष्ट पृष्ठों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य पृष्ठ पर एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा । ऐसे प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी । रजिस्ट्रार का प्रत्येक पृष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा संख्यांकित और सत्यापित किया जाएगा ।

18. नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना है.— यदि कोई रजिस्ट्रीकृत सह चिकित्सीय व्यवसायी या पैरा क्लिनिकल स्थापन अपना नाम परिवर्तित करता है तो वह तत्काल इसके बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करेगा तथा रजिस्ट्रार का यह समाधान करेगा कि इसने नाम में परिवर्तन के तथ्य को पहले ही उस क्षेत्र में, जहाँ यह व्यवसाय करता है, व्यापक परिचालन वाले किसी अग्रणी समाचार पत्र में अधिसूचित किया है । रजिस्ट्रार ऐसा समाधान होने पर और दो सौ पचास रुपये की फीस की प्राप्ति पर, परिवर्तित नाम तदनुसार रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा । रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा ।

19. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति (द्विप्रतिक) जारी करना.— यदि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र खो गया, नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है तो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी या रजिस्ट्रीकृत पैरा क्लिनिकल स्थापन, किसी भी समय जिसके दौरान प्रमाण पत्र प्रवृत्त (प्रवर्तन में) है, रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन कर सकता है तथा रजिस्ट्रार समाधान होने पर, दो सौ पचास रुपये की फीस की प्राप्ति पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा । प्रमाण पत्र के शीर्ष भाग पर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति अंतर्लिखित होगा(किया जाएगा) ।

20. प्रमाणित प्रति के प्रदाय हेतु फीस.—(1) परिषद् या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्ट्रार में किसी प्रविष्टि की प्रति के प्रदाय हेतु फीस, दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रभारित की जाएगी:

परंतु यदि आवेदक प्रति के लिए अत्यावश्यक रूप से आवेदन करता है, तो वह यथा ऊपर निर्दिष्ट फीस की रकम का दुगुना संदत्त करेगा ।

(2) अत्यावश्यक आवेदन की दशा में, वांछित प्रति आवेदक को परिदाय हेतु, जिस दिन आवेदन किया गया है उससे अगले दिन कार्यालय समय की समाप्ति तक तैयार होगी (रहेगी) ।

21. परिषद् की मुद्रा.—परिषद् की सामान्य मुद्रा रजिस्ट्रार द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी जाएगी यह प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पर और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किन्हीं अन्य दस्तावेजों पर लगाई जाएगी ।

परिशिष्ट—1

(नियम 14(1) देखें)

घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी आवेदक एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि: —

- (i) मैं मानवता की सेवा में अपने जीवन को सत्यनिष्ठा से समर्पित करता हूँ ।
 - (ii) मैं अपना व्यवसाय विवेक और गरिमा (प्रतिष्ठा) के साथ करूंगा;
 - (iii) रोगी का जीवन बचाना ही मेरा प्रथम ध्येय रहेगा ;
 - (iv) मैं गुप्त बातों, जो मुझ तक सीमित हैं का सम्मान (आदर) करूंगा ।
 - (v) मैं अपनी समस्त शक्तियों, चिकित्सा व्यवसाय की आदरणीय और उच्च परम्परा को समस्त प्रकार से बनाए रखूंगा;
 - (vi) मेरे सहकर्मी मेरे सहधर्मी (भाई बन्धु) होंगे ;
 - (vii) मैं धर्म, राष्ट्रीयता जात, दलबन्दी या सामाजिक अवस्थिति के विचारों को अपने कर्तव्य और रोगी के मध्य अन्तर करने की अनुज्ञा नहीं दूँगा;
 - (viii) मैं गर्भधारण के समय से मानव जीवन के लिए भरसक (अधिकतम) आदर बनाए रखूंगा;
 - (ix) धमकी के बावजूद मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का, मानवीयता के विरुद्ध उपयोग नहीं करूंगा ।
- मैं सत्यनिष्ठा, निस्संकोच और अपनी मर्यादा से ये बचन देता हूँ ।

हस्ताक्षर और पताए

स्थान

तारीख

अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् ।

परिशिष्ट—II

(नियम 14(1) देखें)

हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् पुराना दंत महाविद्यालय भवन, इन्दिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय पैरा क्लिनिकल स्थापन चलाने हेतु सन्नियम शिमला के नजदीक

(प्रयोगशाला)

रजिस्ट्रीकरण: प्रत्येक पैरा क्लिनिकल स्थापन हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन, अधिनियम की धारा 28 की उप धारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमन द्वारा यथा नियत प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकृत होगा ।

(1) स्थान (स्पेस)

- (i) प्रयोगशाला में कार्य करने हेतु स्थान पर्याप्त ऊँचाई और संवातन, खिड़की और एगजास्ट पंखे सहित 120 वर्ग फुट ग 8 फीट ऊँचाई
- (ii) रोगी के प्रतीक्षा करने का सीन (जगह) और नमूना संग्रहण पंखे, छत/दिवार फिटिंग (साज-सज्जा) और शौचालय सहित 50 वर्ग फुट; और
- (iii) धुलाई/ विसंक्रमण (निष्कीटन) कमरा-संवातन, उपयुक्त बिजली (विद्युत) और पानी के कनेक्शन सहित, न्यूनतम 25 वर्ग फुट और चालू जल (रनिंग वाटर) भण्डारण सुविधा सहित,

2. कार्य करने के बैच :

- (i) ऊँचाई : (क) बैठ कर कार्य करने हेतु 2.5 फुट ; और
- (ख) खड़े हो कर कार्य करने हेतु 3 फुट
- (ii) चौड़ाई: अप्रभाव्य (अभेद्य) टॉप सहित 2 फुट, प्रकाश व्यवस्था और जल आपूर्ति के साथ

3. बैठने का साधन (प्रावधान) (प्रयोजन).—माइक्रो कापी (सुक्ष्मप्रति)/जांच (अनुसन्धान) हेतु घूमने वाला स्टूल ।

4. जनशक्ति.— (1) हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् से रजिस्ट्रीकृत अर्हित चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन;

(ii) अर्हित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन नियोजित करते हुए चिकित्सा स्नातक । चिकित्सा स्नातक, खून, पेशाब/सी0एस0एफ0 रूटीन जाँच, यदि ऐसी जाँचों की संख्या 20 से अन्यून हो या आपातकाल की स्थिति में, करेगा;

(iii) प्रयोगशाला में अपने विशिष्ट विषय में किसी विशेषता में एम0डी0/चिकित्सा स्नातकोत्तर । रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन को नियोजित करते हुए अन्य प्रयोगशाला भी चलाई जा सकती है ।

(iv) रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति किन्ही दोषपूर्ण कार्यों या लोपों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(5) जाँचों (अन्वेषण) की सूची.— जाँच जिनका कार्यान्वयन किया जाना है, की सूची क्लिनिकल स्थापन के किसी सहजदृश्य स्थान पर दर/ प्रभार सहित सप्रदर्शित की जाएगी ।

6. विशेषज्ञीय जाँच (अन्वेषण).—विशेष जाँच की रिपोर्ट; प्रारूप ड में, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी और विशेषज्ञीय जाँच करने वाले सह चिकित्सीय स्थापन के पास अपेक्षा के अनुसार अतिरिक्त जगह होगी ।

7. **अभिलेख रखना.**—(1) प्रत्येक विशेषता (विशिष्ट विषय) (जाँच) हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाएगा;

(ii) विनिर्दिष्ट रेफरल प्रयोगशालाओं को भेजी गई जाँचों का अभिलेख और उसकी प्राप्त रिपोर्टों का अभिलेख, अनुरक्षित किया जाएगा,

(iii) प्रयोगशाला कर्मचारिवृन्द हेतु दुर्घटना रजिस्टर, जिसमें दुर्घटना की तारीख और समय तथा उपचारी उपाय अभिलिखित किए जाएंगे अनुरक्षित किया जाएगा ।

8. **सुरक्षा उपाय.**—समस्त क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित सुरक्षा उपस्कर होने चाहिए: —

- (i) अग्नि शामक ।
- (ii) सुरक्षा धूप के चश्में ।
- (iii) रबड़ के दस्ताने ।
- (iv) सूक्ष्म नली(पिपेट) ।
- (v) प्राथमिक चिकित्सा उपकरण (बाक्स)डिब्बा ।
- (vi) जल सामग्री का उचित निपटान ।
- (vii) बायोहैजर्ड वेस्ट (अपशिष्ट) पात्र (कंटेनर) बायोहैजर्ड से कोई चीज जो संभवतः मानव जाति अन्य वर्ग (प्रजाति) या पर्यावरण के लिए खतरनाक (परिसंकटमय) है।
- (viii) जब प्रयोगशाला कार्य में लगे हुए हों तो प्रयोगशाला सफेद कोट/पेट बन्द (एप्रन) पहनना आवश्यक है ।
- (ix) मुखौटा (फेस मास्क) ।
- (x) विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

(9) क्वालिटी प्रत्यय (आश्वासन) क्लिनिकल प्रयोगशाला अपने आप को किसी भी बाह्य क्वालिटी (कंट्रोल) नियन्त्रण कार्यक्रम से रजिस्टर कर सकेगी:—

- (i) सी0 एम0 सी0 बैल्लोर (जीव रसायन) ।
- (ii) टी0 ए0 पी0 एम0 (चिकित्सा सेवा संस्था, वाराणसी) रोग विज्ञान (विकृतिविज्ञान) और (सूक्ष्मजीवविज्ञान) (अणुजीवविज्ञान) ।

(10) **जांच (अन्वेषण) मांगपर्ची :**

सम्पूर्ण राज्य प्रयोगशालाओं में, प्ररूप च में यथा विनिर्दिष्ट, एकरूप, जांच मांग पर्ची का उपयोग किया जा सकेगा ।

(11) **नमूनों हेतु लेबल:—**

नमूने एकत्रित करने के लिए लेबल भी प्ररूप छ में एकरूप प्रतिकृति (पैटर्न) में प्रयोग किए जाएंगे (नियम 15 (च) देखें) ।

(12) **विशेषज्ञीय जांचों (अन्वेषणों) की सूची:**

(क) रोग विज्ञान (विकृति विज्ञान)

- (क) रुधिर वार्षिका, सी0 एस0 एफ0 कोशिका विज्ञान, पी0 एस0 परीक्षण ।
- (ख) बोन मैरो एक्सपीरेशन
- (ग) बोन मैरो बायोप्सी
- (घ) लियुकीमीया, रक्तश्वेताणुमयता मामलों पर रिपोर्ट करना ।

- (ड) एफ0 एन0 ए0 सी0 ।
- (च) दुर्दम्य (मेलाइनेंट) सेल हेतू द्रव वस्तु कोशिका विज्ञान ।
- (छ) पी0 ए0 पी0 लेप ।
- (ज) हिस्सटोपैथोलोजि रिपोर्टिंग ।
- (झ) सागुलेशन (स्टडिज) अध्ययन ।
- (ञ) वैद्युत कणसंचालन चिह्नक: अध्ययन या विशेष जांच (अवशेषण) ।

(ख) सूक्ष्मजीवविज्ञान (अणुजीवविज्ञान)

- (क) जीवाणु, कवक (फंगी) हेतू संवर्धन और प्रसवेधता ।
- (ख) माइक्रोबकटेरियम क्षयरोग हेतू संवर्धन (कल्चर) और संवेदनशीलता (प्रसवेधता) (सेनसिबिलिटी) ।
- (ग) संक्रमण रोगों हेतू ई0 एल0 आई0 एस0 ए0 आधारित परीक्षण ।
- (घ) पी0 सी0 आर0 एल0 सी0 आर, एस डी0 ए0 ।
- (ज) आर आई0 ए0 ।
- (च) इम्यूनो (डिफ्यूजन) विस्तृति ।
- (छ) इम्यूनो वैद्युत कण संचालन (इलेक्ट्रोफोरिसिस) ।
- (ज) वैद्युत (इलेक्ट्रो) इम्यूनो विस्तृति (डिफ्यूजन) ।
- (झ) सी0 एफ0 टी0 ।
- (ञ) इम्यूनो प्रतिदीप्ति फ्लूरोसेन्स ।
- (ट) इम्यूनो वैद्युत इलेक्ट्रो बलौट तकनीक ।
- (ठ) इम्यूनो क्रोम आटोग्राफीक परीक्षण ।
- (ड) इम्यूनो वैद्युत (इलेक्ट्रो) सूक्ष्मदर्शी परीक्षण ।
- (ढ) वायरस कल्चर ।
- (ण) एनारोबिक बैक्टीरियोलॉजी ।
- (त) परिरोधन स्तर 3 और 4 की अपेक्षा करते हुए सूक्ष्म जीव सम्बंधी जांच ।
- (थ) एफ0 ए0 सी0 एस0 सिस्टम फौर सी0 डी0 सेल काउन्ट ।

(ध) जीव रसायन :

- (क) ट्यूमर मार्कर
- (ख) फ्लोरीमेट्रिक एससेथस
- (ग) रेडियोइम्यूनोसी
- (घ) इलेक्ट्रोफोरिसिस
- (ड) ई0एल0 आई0 एस0 ए0 आधारित परीक्षण और अन्य विशेषज्ञीय जांच (अन्वेषण)

प्ररूप-क

नियम-7 देखें

अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला 171001
महोदय,

मैं, हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 19 के अधीन हिमाचल प्रदेश के..... जिला की..... तहसील में सह-चिकित्सीय संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) आवेदक की विशिष्टियाँ;
- (ख) आवेदक का नाम :
- (ग) पता:
- (घ) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:
(संख्या, गली, शहर, पिन कोड, दूरभाष संख्या, टेलेक्स, टेली फैक्स)
- (ङ) गठन :
(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/स्वायत्त निकाय/सोसाईटी/ ट्रस्ट) (न्यास)
- (च) रजिस्ट्रीकरण/निगमन
(संख्या और तारीख)
- (छ) संबद्ध विश्वविद्यालय या बोर्ड का नाम।

संलग्नों की सूची:

- (i) उप-विधियों, ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/न्यास विलेख आदि की प्रमाणित प्रति;
- (ii) रजिस्ट्रीकरण/निगमन के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति;
- (iii) वार्षिक रिपोर्ट और पिछले तीन वर्षों का संपं रिक्षित तुलनपत्र;
- (iv) स्वामित्व के सबूत के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के हक विलेख की प्रमाणित प्रति;
- (v) उपलब्ध स्थल के जोनिंग प्लानज (योजनाओं), उनके भूमि उपयोग को दर्शाती हुई प्रमाणित प्रति;
- (vi) विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थान के स्वामित्व का सबूत;
- (vii) राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये साध्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति;
- (viii) हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् (साधारण) नियम, 2011 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई स्कीम की दो प्रतियाँ।

तारीख

भवदीय,

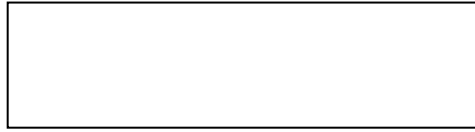
शिमला.....

आवेदक)

प्ररूप-ख

(नियम 13 (1) देखें)

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्



हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या:.....तारीख ---शिमला 171001

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/ कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी.....डाकखाना..... तहसील.....जिला.....
हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का 21) की धारा 28 की
उप धारा 3 के अधीन यथा अपेक्षित पैरा क्लिनिकल स्थापन चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मंजूर
करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके साथ परिषद् के "रजिस्ट्रार" के हस्ताक्षर और हिमाचल प्रदेश
सह-चिकित्सीय परिषद् की मोहर लगाई गई है।

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्
शिमला - 171001

सम्यक् रूप से
अनुप्रमाणित स्टैम्प साइज की नवीनतम
फोटोग्राफ चिपकाए।
(मोहर)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिन.....200 तक नवीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला

पाद टिप्पण :

(1) पैरा क्लिनिकल स्थापन चलाने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, रजिस्ट्रार को, अपने पते में किसी परिवर्तन की तुरन्त सूचना देने और उस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार द्वारा उसको भेजी गई समस्त जांचों (पूछताछ), का उत्तर देने के लिए सतर्क रहना चाहिए जिससे कि उसका सही पता पैरा क्लिनिकल स्थापन के रजिस्टर में सम्यक् रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके, अन्यथा हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 29 के अधीन, व्यक्ति जिसके नाम पर पैरा क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकृत है, पैरा क्लिनिकल स्थापन के रजिस्टर से रद्दकरण के लिए दायी होगा।

(2) अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों द्वारा यथा विहित फीस के संदाय पर यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकरणीय है।

प्ररूप-ग
(नियम 15(क) देखें)

पैरा क्लिनिकल स्थापन का नाम

स्थापना का नाम

अस्पताल का नाम

बाहय रोगी हेतू पर्ची

बाहय रोगी संख्या..... विभाग.....

रोगी का नाम आयु

बिमारी.....

जीवित बच्चों की संख्या.....

तारीख	सुसंगत क्लिनिकल आकड़ें/चिकित्सा

प्ररूप-घ

(नियम 15 (ख) देखें)

पैरा क्लिनिकल स्थापन का नाम

(अंतरंग रोगी हेतू पर्ची)

सी0 आर0 संख्या

रोगी का नाम..... आयु..... लिंग.....वार्ड

चिकित्सीय (उपचार) युनिट (इकाई)..... पुत्र/पुत्री /पत्नी श्री.....गांव/शहर.....

थाना..... तहसील..... डाकखाना जिला.....

व्यवसाय नियोजक या पति/पिता का नियोजक नियोजक का पता.....

..... दूरभाष संख्या.....

आपातकाल के मामले में अधिसूचित करें
(नाम, पता, सम्बन्ध का विवरण दे)

पूर्ववर्ती प्रवेश : तारीख और संख्या दे : प्रवेश समय की तारीख छुट्टी की तारीख, ठहरने के दिन

—प्रवेश के 24 घण्टे के भीतर अंतिम निदान का पूरा किया जाना।

—प्रवेश पर, रोगी या अहित व्यक्ति को, चिकित्सा और शल्य उपचार के लिए प्राधिकार पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

अंतिम निदान:

कोड संख्या:

द्वितीय (द्वितीयक) निदान या जटिलता:

शल्यक्रिया:

..... के परामर्श से परिणाम:

चिकित्सित, छुट्टी करना (रीलिवड), छुट्टी नहीं करना प्रपलायित (अबस्कान्ड)केवल परीक्षण मृत्यु, चिकित्सा सलाह पर छोड़ा मृत्यु का कारण..... शव परीक्षा हॉ नहीं मैंने.....
200 को इस पूर्ण चिकित्सा रिकार्ड (अभिलेख) का परीक्षण कर लिया है और अनुमोदन कर दिया है।

हाउस चिकित्सक

सेवा का मुख्य

(चीफ ऑफ सर्विस)

पैरा क्लिनिकल स्थापन का नाम -----

चिकित्सा और या शल्य उपचार हेतु प्राधिकार सीमित (लोकल) साधारण (जनरल) निश्चेतक (एनस्थेटिक) के अधीन किसी निदान (निदानसूचक) परीक्षण, बायोप्सी रूधिर आधान(ट्रांसफूजन) या शल्यक्रिया करने के लिए एतद्वारा सहमति दी जाती है। जिसे श्री/श्रीमति/कुमारी.....की उचित चिकित्सा/शल्य देख रेख के लिए आवश्यक समझा गया है।

तारीख

हस्ताक्षर.....

(रोगी)

या

साक्षी.....

(नजदीकी सम्बन्धी(रिश्तेदार).....

.....रोगी से सम्बंध।

स्वैच्छिक डिस्चार्ज हेतु जिम्मेदारी से छूट प्रमाणित किया जाता है कि मैं.....में रोगी हूँ। मुझे देखरेख करने वाले चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन की सलाह के विरुद्ध डिस्चार्ज किया जा रहा है। मैं अभीस्वीकृति देता हूँ कि मुझे इसमें अन्तर्वलित जोखिम के बारे में सूचित कर दिया गया है और मैं एतद्वारा मेरी देखरेख करने वाले चिकित्सक और अस्पताल को, किसी दुष्प्रभाव की समस्त जिम्मेदारियों (उत्तरदायित्व) जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के परिणामस्वरूप हो सकता है, से मुक्त करता हूँ।

साक्षी

रोगी या नजदीकी सम्बन्धी.....

साक्षी

रोगी से सम्बंध.....

तारीख

वैयक्तिक प्रभावों से सम्बन्धित विवरण:

मैं/मुझे.....में दाखिल किया गया है और मैंने अपने साथ कोई बहुमूल्य सामान नहीं रखा है।

तारीख

रोगी या जिम्मेदार (उत्तरदायी व्यक्ति) के हस्ताक्षर

रोगी से सम्बंध.....

प्ररूप-ड

(परिशिष्ट-II का पैरा (6) और नियम 15(ग) देखें)
प्रयोगशाला रिपोर्ट प्ररूप विशेषज्ञीय अन्वेषण पर्ची

प्रयोग रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

दूरभाष (कार्यालय)

..... (आवास)

पूर्ण पते सहित प्रयोगशाला का नाम)

रोगी की पहचान संख्या.....रोगी का नाम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी
श्री..... आयु लिंग पुरुष/महिला पता.....
चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट नमूने का प्रकार..... को प्राप्त किया अर्पित अन्वेषण.....
..... नमूना(सेपल) संख्या.....

अन्वेषणों की सूची

क्रम संख्या	अन्वेषण का प्रकार	परिणाम/रिपोर्ट	सामान्य मूल्य
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

हस्ताक्षर

तारीख

तकनीकी व्यक्ति का नाम.....

रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

(मुद्रित अथवा रबड(स्टाप) मोहर)

(नमूना)

प्ररूप-च

(परिशिष्ट-II का पैरा (10) और नियम 15 (घ) देखें)

प्रयोगशाला रिपोर्ट प्ररूप (अन्वेषण अध्यपेक्षा पर्ची)

प्रयोगशाला रजिस्ट्रीकरण संख्या.....
 दूरभाष संख्या (कार्यालय)
 (आवास)

(पूर्ण पते सहित प्रयोगशाला का नाम)

रोगी की पहचान संख्या.....रोगी का नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी
 श्री आयु..... लिंग पुरुष/महिला, पता
 चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट नमूने का प्रकार.....को प्राप्त किया।

अपेक्षित अन्वेषण;.....(सैपल) नमूना संख्या.....

रिपोर्ट

हस्ताक्षर

तकनीकी व्यक्ति का नाम.....

तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

(मुद्रित या रबड (स्टाप) मोहर)

प्ररूप-छ

(परिशिष्ट-II का पैरा 11 और नियम 15 ड देखें)

(नमूना)

नमूना लेबल

पूर्ण पते सहित प्रयोगशाला का नाम

नमूना संख्या.....तारीख रोगी का नाम.....
 नमूना अपेक्षित परीक्षण (जांच).....

आकार जैसा अपेक्षित हो।

प्ररूप-ज
(नियम 16 (1) देखें)

सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में नामांकन (अभ्यावेशन) हेतु आवेदन का प्ररूप।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्,
शिमला-171001।

महोदय,

मैं हिमाचल प्रदेश सहचिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 38 की उप धारा 2 के अधीन रखे गए (अनुरक्षित) सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में अपना नाम रजिस्टर करने और हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर व्यवसाय करने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे मामले से सम्बन्धित आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
4. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को जन्मतिथि और आयु.....
5. व्यवसाय का स्थान:
 - (क) नगर या गांव
 - (ख) डाकखाना
 - (ग) तहसील
 - (घ) जिला.....
6. अर्हताएँ और उनको अभिप्राप्त करने की तारीख.....
7. महाविद्यालय या संस्था का नाम जहां से उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है।.....
8. तारीख जिस को आवेदक ने व्यवसाय आरंभ किया है।.....
9. दूरभाष संख्या
10. पद्धति जिस में व्यवसाय कर रहा है/ व्यवसाय करेगा.....
11. हिमाचल प्रदेश सह- चिकित्सीय परिषद् शिमला 171001 के पक्ष में अनुसूचित बैंक में आहरण माँगदेय ड्राफ्ट के रूप में एक हजार रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस। (माँगदेय ड्राफ्ट संख्या..... तारीख) संलग्न है।
12. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है।
 - (क) मैट्रिकुलेशन(दसवीं) का प्रमाण पत्र ;
 - (ख) डिग्री, डिप्लोमा और शंसापत्र (टेस्टीमोनयलस) की प्रतियाँ।

मैं सत्यानिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि, रजिस्ट्रीकरण हेतु दिये गए आवेदन में उपरोक्त पैरा 1 से 12 की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं शपथ पर घोषणा करता हूँ कि कुछ भी सुसंगत छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

प्रारूप-झ
(नियम 16 (2) देखें)

(हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्)



हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

तारीख-शिमला-171001

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... डाकखाना तहसील जिला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2003 की धारा 38 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार..... तारीख को शिमला में, सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है और रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर इस रूप में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है।

सह-चिकित्सीय अर्हताएं

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके साथ परिषद् के "रजिस्ट्रार" के हस्ताक्षर और हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् की मोहर लगाई जाती है।

स्टाम्प आकार की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ चिपकाए।

(मोहर)

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्
शिमला 171001

रजिस्ट्रीकरण दिन 200 तक नवीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला।

पाद टिप्पण:-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी को, रजिस्ट्रार को, अपने पते के किसी परिवर्तन की तुरन्त सूचना देने और उस सम्बंध में रजिस्ट्रार द्वारा उसको भेजी गयी समस्त जांचों (पूछताछ) का उत्तर देने के लिए सर्तक रहना चाहिए, जिससे कि उसका सही पता सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तःस्थापित किया जा सके, अन्यथा हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 40 के अधीन सह-चिकित्सीय व्यवसायी का नाम सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

(2) यह प्रमाणपत्र केवल 500 रुपये (केवल पाँच रुपये) के संदाय पर नवीकरणीय है।

[illegible]

प्ररूप-ट

(नियम 16 (4) देखें)

सह-चिकित्सीय व्यवसाय के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप 1

सेवा में,
रजिस्ट्रार,

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्,
पुराना दन्त महाविद्यालय भवन, इन्दिरा,
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला-171001.

महोदय ,

मैं रजिस्ट्रीकरण संख्या के नवीकरण हेतु आवेदन करने की प्रार्थना करता हूँ
जो..... को समाप्त हो रहा है।

मैं यथा अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करता हूँ, अर्थात:-

- (1) हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् शिमला 171001 के पक्ष में अनुसूचित बैंक----में
आहरण मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में पाँच सौ रुपये (500 रु०) की नवीकरण फीस;
- (2) मूलरजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र,
- (3) दूरभाष संख्या;
- (4) कोई अन्य सूचना ।

भवदीय,

आवेदक के हस्ताक्षर,

आवास और कार्यालय का पूरा पता।

तारीख.....

स्थान

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (स्वास्थ्य)।

[Authoritative English Text of the Government Notification No .HFW-B(A)2-8/2003, dated 30.1.2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30st January, 2012

No. HFW-B(A)2-8/2003.—Whereas the draft Himachal Pradesh Para Medical Council (General) rules, 2007 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 19.9.2007 for inviting objections and suggestions from person likely to be affected thereby vide notification of even number dated 16.8.2007 as required under section-53 of the Himachal Pradesh Para Medical Council Act, 2003, within a period of 30 days from the date of publications ;

And, whereas no objection/suggestion has been received in this behalf from general public on the said draft rules during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-53 of the Himachal Pradesh Para Medical Council Act, 2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

“RULES”

1. Short title.— These rules may be called the Himachal Pradesh Paramedical Council (General) Rules, 2011.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires ,-

- (a) “Act” means the Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003 (Act No.21 of 2003);
- (b) “Appendix” means the appendix appended to these rules ;
- (c) “Council” means the Himachal Pradesh Paramedical Council established under section 3 of the Act ;
- (d) “Form” means the form appended to these rules;
- (e) “rules” means the Himachal Pradesh Paramedical Council (General)Rules,2011 ;
- (f) “Registrar” means the Registrar of the Council; and
- (g) “State Government ” means the Government of Himachal Pradesh.

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as have been respectively assigned to them in the Act.

3. Eligibility criteria to establish paramedical institutions.—(1) No diploma in Medical Laboratory Technology and in Medical Radiology Technology (DMLT/DMRT) Courses shall be started in Private Sector :

Provided that if the State Government so decides such courses shall be allowed in private partnership (PPP) mode or in private sector subject to the condition laid down for the purpose separately .

2. The following organizations shall be eligible to apply for permission to establish paramedical institutions within the State of Himachal Pradesh subject to overall policy notified by the Government in this regard:

- (a) State Government/Union Territories and Universities established by law enacted by Parliament or State Legislature;
- (b) Autonomous Bodies constituted by Central or State Government;
- (c) Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 or corresponding Acts of the State Governments; and
- (d) Public, religious or charitable trusts registered under the Indian Trust Act, 1882 or Wakf Act, 1995.

4. Terms and conditions before issue of a Feasibility Certificate by the State Government regarding desirability and feasibility to establish paramedical institution.-(1) No person shall establish a paramedical institution and no paramedical institution shall open a new or higher course of study or training or increase its admission capacity in any course of study or training, except with the previous permission of the State Government obtained in accordance with the provision of section 19 of the Act.

(2) Every person or paramedical institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-rule (1), submit to the Council a scheme in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(3) Every person or paramedical institution shall obtain Feasibility Certificate from the State Government before submitting a scheme under sub-rule (2) of this rule.

(4) The Essentiality Certificate shall only be issued by the State Government in case such person or paramedical institutions fulfils the condition Laid down for the purpose by the Government of Himachal Pradesh from time to time.

5. Qualifying criteria to seek permission to establish a paramedical institution in addition to the terms and conditions laid down under subsection (8) of section 10 of the Act or these rules,-The eligible organization shall comply with the provisions of the Act, these rules and regulations made there under and guidelines issued by the Council and shall be eligible to apply for permission to establish a new paramedical institution only if the following conditions are fulfilled.-

- (a) That the paramedical education shall be one of the main objective of the applicant or institution ;
- (b) That the area of the plot of land as specified by the Council shall be owned and possessed by the applicant to set up the proposed paramedical institution;
- (c) That the feasibility certificate regarding the desirability and feasibility of having the proposed paramedical institution at the proposed location has been obtained from the State Government and that the adequate clinical material shall be available as per Council requirements;
- (d) That consent of affiliation to establish the proposed paramedical institution has been obtained by the applicant from a recognized **University** or the Council, as the case may be;
- (e) That the applicant owns and manages a hospital with necessary infrastructural facilities and capable for being developed into a teaching institution as determined by the Council in the vicinity of proposed paramedical institution;
- (f) That the applicant has a time bound programme to set up the proposed paramedical institution along with the required infrastructural facilities including adequate hostel facilities for boys and girls as determined by the Council commensurate with the proposed intake of students so as to complete the paramedical education within a period specified in the guidelines issued by the Council from the date of grant of permission;

- (g) That the paramedical institution shall admit the students only after the Council has satisfied itself about the infrastructural and other facilities for starting courses and after receiving written permission from the State Government ;
- (h) That the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructural facilities as determined by the Council for the purpose of upgradation of the existing paramedical institution or establishment of new paramedical institution or both, so as to collectively provide the minimum bed strength as determined by the Council within a period of one year from the date of grant of permission to set up the proposed paramedical institution ;
- (i) That the applicant has the necessary managerial and financial capabilities to establish and maintain the proposed paramedical institution and its ancillary facilities including a teaching hospital;
- (j) That the applicant shall submit to the Council three years audit report with regards to his financial status; and
- (k) That the paramedical institution shall give Bank guarantee to the tune of Rs. ten lacs per course in favour of the State Government, to be pledged with the Director Medical Education and Research, Himachal Pradesh, to be enforced in the case of the paramedical institution does not provide the required teaching facilities including man powers and equipments etc.

Exemption .—The aforesaid condition shall not apply to the State Government; provided that it shall give an undertaking to provide funds in their Plan Budget/Grant-in-aid regularly till the facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by it.

6. Forms and procedures.—Subject to the fulfillment of the eligibility and qualifying criteria as laid down in rules 3 and 5 of these rules, a scheme for setting up of a new paramedical institution shall be submitted by the applicant in the following three parts :-

PART-A

(1) The scheme shall contain the following particulars about the applicant and information regarding the desirability and prima-facie feasibility of setting up of a paramedical institution at the proposed location:-

- (a) Information regarding constitution of the applicant organization within the terms of reference of eligibility criteria .
- (b) Information regarding basic infrastructural facilities and managerial and financial capabilities of the applicant .
- (c) Information regarding availability of necessary certificates and consent as proposed in the qualifying criteria under rule-5.

PART-B

(2) The scheme shall contain detailed description to establish a new paramedical institution and shall be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the proposed paramedical institution with the following particulars :-

- (a) Name and address of the new paramedical institution.
- (b) Market survey and environment analysis, availability of trained paramedical manpower, gap analysis, desirability and prima-facie feasibility of establishing a new paramedical institution at the proposed location .
- (c) Site characteristics and availability of external linkage : including topography, plot size, permissible floor space index, ground coverage, building height, road access,

- availability of public transport, electric supply, water-supply, sewage connection, telephone lines etc .
- (d) Educational programme :including annual intake of students, admission criteria and method of admission; reservation, preferential allocation of seats (if any) and department-wise and year –wise curriculum of studies .
 - (e) Functional programme :including department–wise functional requirement and area distribution and room-wise seating capacity .
 - (f) Equipment programme: including room-wise list of medical, scientific and allied equipments, complete with schedule of quantities and specifications.-
 - (g) Manpower programme :including department–wise requirement of teaching staff (full time),technical, administrative and ancillary staff, category-wise recruitment criteria and salary structure etc, minimum as per State Government scale .
 - (h) Building programme: including building –wise built up area of the paramedical institutions, faculty and staff housing, staff and students hostel, administrative office, library auditorium and other infrastructural facilities such as cultural and recreational center, sport complex etc .
 - (i) Planning and layout: including master plan of the paramedical institution complex, layout plan, sections elevations and floor-wise area calculations of the paramedical institution and ancillary banking etc .
 - (j) Phasing and scheduling: including month-wise schedule of activities, indicating commencement and completion of building, design, approvals of local body; civil construction and equipment, recruitment of staff and phased commissioning commensurate with the proposal to intake of students.
 - (k) Project cost : including capital cost of land, building, plant and machinery, medical scientific and allied equipments, furniture and fixtures, and preliminary and pre-operative expenses .
 - (l) Means of financing the project cost: including contribution of the applicant, grants and donations, equity, loans and other sources, if any.
 - (m) Revenue assumptions: including fee structure and estimated annual revenue from various sources.
 - (n) Expenditure assumptions : including operating expenses and depreciation .
 - (o) Operating results: including income statement, cash flow statement and projected balance sheets.

PART –C

(3) The scheme shall contain detailed description of existing paramedical institution and the proposed expansion scheme to upgrade the existing paramedical institution or to set up an additional paramedical institution or both to coincide with the phased-development of the proposed paramedical institutions. This part of the scheme shall also be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the existing paramedical institution with following particulars:-

- (a) Name and address of the existing paramedical institution.-
- (b) Details about the existing paramedical institution and its ancillary building, including bed strength, built-up area of clinical and para-clinical disciplines, bed distribution, architectural and layout plans, list of medical and allied equipment, capacity and configuration of hospital services, administrative service, and other ancillary and sport services, category-wise staff strength etc.
- (c) Details about the additional land for expansion of the existing paramedical institution or for setting of a new paramedical institution including land particulars, distance from the proposed educational institutions, plot size, authorized land use,

- geography, soil conditions, road access, availability of public transport, electric supply, water-supply, sewerage connection, telephone lines etc.
- (d) Upgraded medical programme: including the additional clinical and paraclinical disciplines envisaged under the expansion scheme.
 - (e) Upgraded functional programme: including specialty-wise and servicewise functional requirements and area distribution; and specialty-wise bed distribution.
 - (f) Building programme: including details about additional built-up area of the paramedical institution, staff housing, staff and students hostel and other ancillary building.
 - (g) Planning and layout : including upgraded master plan of the paramedical institution complex or master plan of the proposed new paramedical institution, as the case may be, alongwith layout plans, sections elevations and floor-wise area calculation of paramedical institution and ancillary building.
 - (h) Equipment manpower programme : including upgraded room wise list of medical and allied equipment schedule of quantities and specifications-.
 - (i) Upgraded manpower programme :including category-wise distribution of medical, paramedical and other staff-.
 - (j) Phasing and scheduling of the expansion scheme : including month-wise master schedule of activities indicating commencement and completion of building design, approval of local body; civil construction, hospital services, provision of medical and allied equipment, recruitment of staff etc. to commensurate with the development of the proposed paramedical institution .
 - (k) Project cost of the expansion scheme: including additional cost of land, building, hospital services, medical and allied equipments, furniture and fixtures expenses -.
 - (l) Means of financing the cost of expansion scheme: including contribution of the applicant, grants and donation, equity, loans and other sources, if any-
 - (m) Revenue assumptions: including details of income from various sources and service loads and annual revenue;
 - (n) Expenditure assumptions :including operating expenses, financial expenses, and depreciation.
 - (o) Operating results: including income statements, cash flow statement and balance sheets.

7. Application form and fee.-The application under section 19 of the Act, to seek permission to establish a paramedical institution shall be submitted in Form-A, by registered post only to the Registrar, Himachal Pradesh Paramedical Council, Old Dental College Building, Shimla 171001 and shall be accompanied with a fee of rupees two thousand in the form of a demand draft drawn on a scheduled Bank in favour of the Himachal Pradesh Para-Medical Council, Shimla. The fee to inspect the paramedical institutions shall be Rs 25,000/-.The inspection fee shall be sent in the form of a demand draft drawn on a Scheduled Bank in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Dental College Building, near IGMCH Shimla-171001. Beyond one inspection, the normal inspection fee shall be as may be determined by the Council.

8. Registration.-(1) Application found complete in all respects shall be registered by the Council for evaluation and recommendations. The registration of the application shall only signify the acceptance of the application for evaluation. It shall however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

(2) Incomplete application shall not be registered and shall be returned by the Council to the applicant along with enclosures and processing fee.

9. Prescribed period.-In computing the time limit specified under sub section (6) of section 19 of the Act, the time taken by the authorities and the institutions submitting the scheme in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Council shall be excluded.

10. Evaluation by the Council.-The Council shall evaluate Part-A of the application in the first instance to establish the desirability and prima-facie feasibility of setting up the paramedical institution at the proposed location and the capability of the applicant to provide the necessary resources and infrastructure of the scheme. While evaluating each part of the application, the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

11. Grant of permission.-(1) The Council may, issue a letter of intent to the applicant to set up a new paramedical institution, with such conditions and modifications in the original proposal as may be considered necessary. The permission may be granted after the aforesaid conditions and modifications are accepted and the performance of bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant.

(2) The formal permission may include time bound programme for the establishment of the paramedical institution and expansion of the hospital facilities. The permission may include a clear cut directions of preliminary requirements to be met in respect of building, infrastructural facilities, medical and allied equipments, faculty and staff etc. before admitting the first batch of students. The permission may also indicate annual targets to be achieved by the applicant to commensurate with the intake of students during the following years.

(3) The permission to establish a new paramedical institutions and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets and revalidation of the performance of bank guarantees. The process of renewal of permission may continue till such time the establishment of the paramedical institutions and expansion of the hospital facilities are completed and formal recognition of the paramedical institution by the Council is granted. Further admissions are liable to be stopped by the Council at any stage unless the requirements for various steps of development are taken to its satisfaction.

(4) The Council may obtain any other information from the proposed paramedical institutions as it deems fit and necessary.

12. Application for registration of Para-clinical establishment.-Every person intending to carry on a para-clinical establishment shall make an application in a form, as may be prescribed by regulations, to the Council for the registration of clinical establishment within a period of three months from the date of commencement of the Act and shall be accompanied by a fee as may be prescribed by regulations made under sub section (2) of section 28 of the Act, in the form of a demand draft drawn on a _____ Scheduled Bank in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Old Dental College Building, near Indira Gandhi Medical College, Shimla-171001.

13. Certificate of Registration of Para-clinical Establishment.-(1) The certificate of registration of para-clinical establishment shall be granted by the Registrar in Form-B within period of three months, from the date of submission of the application to the Council and the period of three months to grant the certificate of registration of para-clinical establishment, shall commence from the date of registration of the application by the Council.

(2) Incomplete application shall not be registered and shall be returned by the Registrar to the applicant alongwith enclosures.

(3) The application found complete in all respects shall be entered, in the State Register of para-clinical establishment, in Form -J by the Registrar in order to grant the certificate of registration of para-clinical establishment.

(4) In computing the time limit of three months as specified under sub-rule (1), the time taken by the authorities and applicant submitting the application, in furnishing any information/clarification or additional documents called for by the Council shall be excluded.

14. Terms and conditions for the registration of para-clinical establishment.-Before the application is registered by the Council in order to grant the certificate of registration of a para-clinical establishment, every person intending to carry on a para-clinical establishment shall fulfill the following terms and conditions, namely:-

- (a) He should hold recognized paramedical qualifications.
- (b) He should reside or carry on the para-clinical establishment within the State of Himachal Pradesh.
- (c) He should not be less than eighteen years of age.
- (d) He should not be an un-discharged insolvent.
- (e) He should not be of an unsound mind.
- (f) He should not have been black-listed by any authority under any law for the time being in force.
- (g) He should not have been convicted of an offence under the Act or under any law involving moral turpitude, or, if convicted a period of five years has elapsed since his conviction.
- (h) He should not have been dismissed from the service of a Government or a State Government Undertaking or a Local Authority.
- (i) He shall submit a written and signed declaration as provided in Appendix-I to the Registrar.
- (j) He shall maintain good character and morals and to attain such a standard is a duty of every practitioner who owes alike to the profession and to the public.
- (k) He shall not abuse his professional position by committing adultery or improper conduct with a patient or by maintaining improper association with a patient, otherwise he shall be liable for disciplinary action as provided under the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956)-.
- (l) He shall comply the norms for running a para-clinical establishment as specified in Appendix-II.

15. Maintenance of records.-(1) Every para-clinical establishment shall maintain and keep the records of all persons,-

- (a) in case attended and treated as outdoor patient in Form-C;
- (b) in case admitted and treated as indoor patient in Form-D;
- (c) in case of specialized investigation is done by a specialist in the reporting of special investigation shall be made in Form-E;
- (d) in case investigation of routine nature the reporting of such investigation shall be made in Form-F; and
- (e) if labels for samples are to be collected, the same shall be collected in Form-G.

(2) The lists of specialized investigations have been specified in para 12 of the Appendix-II,

(3) Every para-clinical establishment shall keep the records of all persons as mentioned in sub-rule (1), in duplicate. First copy shall be given to the patient and second copy shall be kept by the para-clinical establishment for at least five years or till the inspection of the para-clinical establishment is caused to be made by the Council, whichever is earlier.

16. Registration and renewal fees,-(1) The application by a person under section 38 of the Act, for being registered as a para-medical practitioner in the State Register of paramedical practitioners to be maintained under the provisions of sub-section (2) of section 38 of the Act, shall be made in Form-H, by registered post to the Registrar, Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001 and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees in the form of a demand draft, drawn on a _____ Scheduled Bank, in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001.

(2) The Certificate of registration as a paramedical practitioner shall be issued by the Registrar in Form-I and shall be valid for a period of three years from the date of its issue.

(3) Every paramedical practitioner, registered under this rule, shall renew his certificate of registration after every three years on payment of fee of five hundred rupees in the form of a demand draft, drawn on a Scheduled Bank, in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001.

(4) The application under sub-rule (3) to renew the certificate of registration as a paramedical practitioner shall be made in Form-K, by a registered post addressed to the Registrar, Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001.

17. Verification of pages of register.-The Registrar shall, before bringing the State Register of para-clinical establishment into use, add a certificate on the title page specifying the number of pages it contains. Such certificate shall be signed and dated by the Registrar. Each page of the register shall be numbered and verified by the Registrar.

18. Change of name to be intimated to the Registrar.-If a registered paramedical practitioner or para-clinical establishment changes his/its name, he/it shall immediately inform the Registrar about the same and satisfy the Registrar that it has already notified the fact of the change of name in a leading newspaper having wide circulation in the area in which he/it carries on his/its practice/business. The Registrar shall on being so satisfied and on receipt of a fee of rupees two hundred and fifty, enter the changed name in the register accordingly. The necessary change in the registration certificate shall also be made by the Registrar.

19. Issue of a duplicate Registration Certificate.-If a registration certificate is lost, destroyed or mutilated, the registered practitioner or registered paraclinical establishment may at any time during which the certificate is in force, apply to the Registrar for a duplicate certificate and the Registrar shall, on being satisfied, issue on receipt of fee of rupees two hundred and fifty, a duplicate certificate. The duplicate certificate shall be inscribed on the top of the certificate.

20. Fee for supply of certified copy.-(1) The fee for the supply of copy of any, order passed by the Council or the Registrar or any entry in the register shall be charged at the rate of ten rupees per page :

Provided that if the applicant applies for a copy urgently, he shall pay double the amount of fees specified as above.

(2) In case of urgent application, the copy sought for shall be ready for delivery to the applicant by the close of office hours of the day following that on which the application is made.

21. Seal of the Council.-The common seal of the Council shall be kept by the Registrar in his custody. It shall be affixed on each registration certification and any other documents issued by the Registrar under the provisions of these rules.

APPENDIX-I
[See rule 14 (i)]

DECLARATIONS

I, the undersigned applicant do here by solemnly affirm and declare as under:-

- (i) That I solemnly pledge myself to concentrate my life to the service of humanity;
- (ii) That I shall practice my profession with conscience and dignity;
- (iii) That to save the life of patient shall be my first consideration;
- (iv) I shall respect the secrets which are confided in me ;
- (v) That I shall maintain by all means in my power, the honour and noble traditions of medical professions;
- (vi) That my colleagues shall be my brothers ;
- (vii) That I shall not permit considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient;
- (viii) That I shall maintain the utmost respect for human life from the time of conception; and
- (ix) That even under threat, I shall not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

I make these promises solemnly, free and upon my honour.

Place _____
Date _____

Signature and address.

PRESIDENT
HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL

Appendix-II
[See rule 14 (I)]

HIMACHAL PRADESH PARA-MEDICAL COUNCIL, OLD DENTAL COLLEGE BUILDING,
NEAR I.G.M.C. SHIMLA

NORMS FOR RUNNING -CLINICAL ESTABLISHMENT

(Laboratory)

Registration: Every para-clinical establishment shall be registered under the Himachal Pradesh Para-Medical Council Act, 2003 with initial registration fee fixed by regulations made under sub-section(2) of section 28 of the Act.

(1) SPACE:

- (i) Laboratory working space – 120 sq ft. x 8' height, with adequate height and ventilation, window and exhaust fans;
- (ii) Patient's waiting space and specimen collection-50 square feet, with fans, ceiling/wall fitting; and toilet -; and
- (iii) Washing/sterilization room-minimum 25 square feet, with ventilation, proper electricity and water connection and with running water storage facility.

(2) WORKING BENCHES :

- (i) Height-
 - (a) 2.5 feet for sitting jobs; and
 - (b) 3 feet for standing jobs; and
- (ii) Width- 2 feet with impervious tops, with lighting arrangements and water supply.

(3) SITTING PURPOSE- Revolving stool for microcopy/investigations.**(4) MANPOWER:**

- (i) Qualified Medical Laboratory Technician, registered with Paramedical Council of Himachal Pradesh .
- (ii) Medical Graduate by employing a qualified registered medical laboratory technician. Medical Graduate shall perform blood/urine/CSF routine investigation if the number of such investigation is less than 20 or in case of emergency.
- (iii) MD/ Medical Post Graduate in any specialty in his specific subject laboratory. Other laboratory may also be run by employing a registered medical laboratory technician.
- (iv) The person signing the reports shall be responsible for any wrong acts or omissions.

(5) LIST OF INVESTIGATIONS:

The list of investigations to be carried out shall be displayed with rates/charges on a conspicuous place of the clinical establishment.

(6) SPECIALIZED INVESTIGATIONS :

Reporting of special investigations shall be done by a specialist in respective field in Form-E and Para-Medical Establishment doing specialized investigation shall have additional space as per requirement.

(7) RECORD KEEPING :

- (i) Separate register for each specialty (investigation) shall be maintained .
- (ii) The record of the tests sent to referral laboratories and reports received thereof shall be maintained .
- (iii) Accident register shall be maintained for laboratory staff in which date and time of accident and remedial measures taken shall be maintained.

(8) SAFETY MEASURES:

The following safety equipments must be available in all clinical laboratories:-

- (i) Fire extinguisher .
- (ii) Safety goggles .
- (iii) Latex gloves .
- (iv) Safety pipettes .
- (v) First aid equipment box .
- (vi) Proper disposal of water material .
- (vii) Biohazard waste container (Biohazard-anything that is potentially hazardous to human beings other species or the environment).
- (viii) Laboratory white coat/apron must be worn when engaged in laboratory work .
- (ix) Face mask .
- (x) World Health Organization guide lines should be followed-.

(9) QUALITY ASSURANCE: Clinical laboratory may register themselves to any external quality control programme:

- (i) CMC Vallore (Biochemistry).
- (ii) TAPM (Institute of Medical Services, Varanasi) (Pathology and Microbiology).

(10) INVESTIGATION REQUISITION SLIP : A uniform investigation requisition slip may be used through out the State laboratories as specified in Form-F.

(11) LABEL FOR SAMPLES : The labels for samples collection shall also be used in uniform pattern in Form-G [See rule 15 (e)].

(12) LIST OF SPECIALIZED INVESTIGATIONS :**(A). Pathology :**

- (a) Haemogram, CSF Cytology, P/S Examination-.
- (b) Bone marrow aspiration-.
- (c) Bone marrow biopsy-.
- (d) Reporting on leukemia cases-.
- (e) FNAC-.
- (f) Fluid cytology for malignant cells-.
- (g) PAP smear;
- (h) Histopathology reporting-.
- (i) Coagulation studies-.
- (j) Electrophoreses Marker studies or special investigation

(B) Microbiology :

- (a) Culture and sensitivity for bacteria, fungi -.
- (b) Culture and sensitivity for Mycobacterium tuberculosis-.
- (c) ELISA based tests for infectious diseases-.
- (d) PCR, L.C.R., SDA-.
- (e) R.I.A.
- (f) Immunodiffusion-.
- (g) Immuno electrophoresis-.
- (h) Electro immuno diffusion-.

- (i) C.F.T.
 - (j) Immuno fluorescence-.
 - (k) Immuno electro blot techniques.
 - (l) Immuno chrom autographic tests.
 - (m) Immuno electro microscopic tests.
 - (n) Virus culture.
 - (o) Anaerobic bacteriology.
 - (p) Investigations related to microorganisms requiring containment level 3 and 4.
 - (q) FACS system for CD cell count.
- (c) **Bio-chemistry :**
- (a) Tumor Markers.
 - (b) Flourimetric assays.
 - (c) Radioimunossy.
 - (d) Electrotrophoresis.
 - (e) ELISA based Tests And other specialized Investigation.

FORM-A
(See rule-7)

FORM OF APPLICATION FOR THE GRANT OF PERMISSION

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Paramedical Council, SHIMLA-171001

Sir,

I beg to apply to seek permission under section 19 of the Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003, to establish Paramedical institution at _____
Tehsil _____ District _____ Himachal Pradesh. The required particulars are as under:-

- (a) Particular of the applicant:
- (b) Name of applicant (in block letters):
- (c) Address (in block letters):
- (d) Registered office :
(No. street, city, pin codes, telephone number, telex ,tele-fax)
- (e) Constitution:
(State Government/Union Territory /University/Autonomous body/Society/Trust)
- (f) Registration/incorporation (Number and date)
- (g) Name of affiliating University or Board:

List of enclosures:-

- (i) Certified copy of bye-laws, memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc;
- (ii) Certified copy of certificate of registration/incorporation;
- (iii) Annual reports and audited balance sheets for the last 3 years;
- (iv) Certified copy of the title deeds of the total available land as a proof of ownership;

- (v) Certified copy of the zoning plans of the available site indicating their land use ;
- (vi) Proof of ownership of the existing paramedical institution;
- (vii) Certified copy of the Feasibility Certificate issued by the State Government; and
- (viii) Two copies of the scheme, made in accordance with the provisions of rule-6 of the Himachal Pradesh Para-medical Council (General) Rules, 2011.

Yours faithfully,

Dated _____

(Applicant)

Shimla _____

FROM –B
[See rule 13 (1)]

HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL



HPPMC

SHIMLA

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. _____ Dated Shimla-171001 _____

This is to certify that Shri/Shrimati/Miss _____ son/
 daughter /wife of Shri _____ resident of
 _____ Post Office _____ Tehsil _____ District
 _____, Himachal Pradesh, has been registered to carry out Para-Clinical
 Establishment, as required under sub-section (3) of section 28 of the Himachal Pradesh
 Paramedical Council Act, 2003 (Act No. 21 of 2003), within the State of Himachal Pradesh, for a
 period of five years from the date of grant of certificate of registration.

Recognized paramedical

qualifications

In witness whereof are herewith affixed the seal of Himachal Pradesh Paramedical Council
 and signature of the “Registrar” of the Council.

(Affix latest stamp size photograph duly attested)

(SEAL)
 REGISTRAR
 HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL
 COUNCIL, Shimla-171001

The Certificate of Registration is renewed up to the _____ day
of _____ 200__.

REGISTRAR
HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL, SHIMLA.

Foot Note:

1. Every person registered to carry on the para-clinical establishment shall be careful to send to the Registrar immediate notice of any change in his address, and also to answer all inquiries that be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the register of para-clinical establishment; otherwise under section 29 of the Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003 the name of the person, in whose name the para-clinical establishment is registered, shall be liable to be cancelled from the register of para-clinical establishment.
2. This certificate of registration is renewable on payment of fees as may be prescribed by regulations made under the Act.

FORM- C
[See rule 15 (a)]

Name of para-clinical establishment _____

Name of Hospital _____

SLIP FOR OUTDOOR PATIENT

O.P.D.

NO. _____ Department _____

Name of the Patient _____ Age _____ Disease _____

No. of living children _____

Date

Relevant clinical data/treatment

FORM 'D'
[See rule 15 (b)]

Name of para clinical establishment _____

(SLIP FOR INDOOR PATIENT)

C.R. Number-----Patient's name ----- Age----- Sex----- Ward-----
Treating Unit ----- son/daughter/wife of Shri Village/Town----- Thana----- Tehsil-----
----- P.O.----- District-----

Occupation----- Employer or employer of husband /father Address of employer-----

Notify in case of emergency (give name, address, relationship) Telephone number -----

Previous admission (s): Give date & number Date of admission time Discharge date Days of Stay

Provisional diagnosis to be completed within 24 hours of admission On admission, patient or qualified person must sign authorization for Medical and/ or Surgical Treatment.

Final diagnosis :

Code No.

Secondary diagnosis or complications:

Operation:

Consultation with -----Results Cured Relieved Not
Relieved Absconded Examination only.

Died Left against Medical Advice.

Cause of death -----Autopsy Yes----No---

I have examined and approved this complete medical record on -----200-----
House Physician -----Chief of service Name of para-clinical establishment

AUTHORISATION FOR MEDICAL AND/OR SURGICAL TREATMENT

Consent is hereby given for the performance of any diagnostic examination, biopsy, transfusion or operation under anesthetic local or general that may be deemed necessary in the proper medical/surgical care of Shri/Shrimati/Miss-----

Date-----

Signed-----

(Patient)

Witness-----

or-----

(Nearest relative)

Relationship with the patient-----

EXEMPTION FROM RESPONSIBILITY FOR VOLUNTARILY DISCHARGE

This is to certify that I, -----, a patient in _____, am being discharged against the advise of the attending physician and of the hospital administration. I acknowledge that I have been informed of the risk involved and I hereby relieve the attending physician and the hospital from all responsibility for any ill effects which may result from discharge from the hospital.

Witness----- Patient or nearest relative-----

Witness----- Relationship to patient-----

Date-----

STATEMENT REGARDING PERSONAL EFFECTS

I have been admitted to _____ and have kept no valuable with me.

Date-----

Signature of patient or responsible person
Relationship to patient-----

FORM-E

(See para (6) of Appendix –II & rule-15(c))

LABORATORY REPORT FORM : SPECIALIZED INVESTIGATION SLIP

Lab.Regd. No. _____

Tele phone _____ (O)
_____ (R)

(Name of laboratory with complete address)

Patient's ID No: _____

Patient's name _____ son/daughter/wife of _____

Age: _____ Sex: male/female.

address: _____

Referred by Dr. _____

Type of specimen : _____ received on _____

Investigation required: _____ sample

No: _____

LIST OF INVESTIGATIONS

Sl. No	Type of investigation	Result/report	Normal values
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Signature _____

Date: _____

Name of Technical Person _____

Regd No _____

(Printed or rubber stamped)

(SAMPLE)

FORM-F
[See para(10) of Appendix-II & rule -15 (d)]
LABORATORY REPORT FORM
(INVESTIGATION REQUISITION SLIP)

Lab. Regd. No. _____

Telephone No. _____ (O)
 _____ (R)

(Name of laboratory with complete address)

Patient's ID No. _____

Patient's name _____ son/daughter/wife of _____ Age----- Sex:
 male/female, address :-

Referred by _____

Dr. _____ Type _____ of
 specimen _____ received on _____ Investigation
 required: _____ Sample No _____

Date: _____

REPORT

Signature _____

Name of Technical person _____

Regd.No. _____

(Printed or rubber stamped)

FORM -G

[See para II of Appendix -II and rule -15(e)]

(SAMPLE)

SPECIMEN LABEL

 (Name of laboratory with complete address)

Sample No: _____ Date _____

Patient's name _____

Specimen: _____

Test required: _____

SIZE AS REQUIRED

FORM- H
[See rule 16(1)]

**FORM OF APPLICATION FOR ENROLMENT IN THE STATE REGISTER OF
PARAMEDICAL PRACTITIONERS**

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Paramedical Council,
Shimla-171001

Sir,

I am to request you kindly register my name as a paramedical practitioner in the State Register of paramedical practitioners maintained under sub-section (2) of section 38 of the Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003 and to issue me necessary Certificate of registration to practise within the State of Himachal Pradesh. Necessary particulars concerning my case are given as under :-

1. Name of the applicant (in block letters)-----
2. Father's name (in block letters)_____
3. Address:_____
4. Date of birth and age on the date of presenting application_____
5. Place of practice:
 - (a) Town or Village:_____
 - (b) Post office :_____
 - (c) Tehsil :_____
 - (d) District :_____
6. Qualifications and date of obtaining them :_____
7. The name of the College or institution from where he passed the examination_____
8. Date on which the applicant started practice_____
9. Telephone numbers:_____
10. System in which practising / will practise:_____
11. Rupees one thousand as registration fee in the form of a demand draft drawn on a _____ Scheduled Bank in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001
(Demand Draft No. _____ dated _____-) is enclosed:
12. The following documents duly attested by Gazetted Officer are enclosed :-
 - (a) Matriculation Certificate;
 - (b) Copies of degree, diplomas, and testimonials.

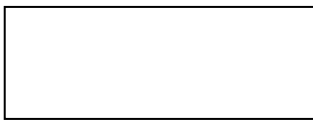
I solemnly declare and affirm that the contents given, in the application for registration, in paras 1 to 12 above are correct to the best of my knowledge and belief. I further declare on oath that nothing relevant has been concealed.

Dated _____
Place _____

Signature of the applicant

FROM –I
[See rule 16 (2)]

HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL



HPPMC
SHIMLA

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. _____ Dated Shimla-171001 _____
 This is to certify that Shri/Shrimati/Miss _____
 _____ son/daughter/wife of shri _____ resident of
 _____ Post Office _____ Tehsil _____ District
 _____, Himachal Pradesh, has been duly registered as a para-medical practitioner
 as per the provisions of sub-section (1) of section 38 of the Himachal Pradesh Paramedical Council
 Act, 2003 (Act No. 21 of 2003) on _____ at Shimla and is authorised to practise as such
 within the State of Himachal Pradesh for a period of three years from the date of issue certificate of
 registration.

Paramedical _____ qualifications
 _____.

In witness whereof are herewith affixed the seal of the Himachal Pradesh Paramedical
 Council and signature of the “Registrar” of the Council.

(Affix latest stamp
 size photograph
 duly attested)

(SEAL)

REGISTRAR
 HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL
 COUNCIL, Shimla-171001

The Registration is renewed upto the _____ day of _____ 200.

REGISTRAR
 Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla.

FOOT NOTE :

1. Every registered Paramedical Practitioner should be careful to send to the Registrar immediate notice of any change in his address, and also to answer all inquiries that be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the State Register of paramedical practitioners otherwise under section 40 of the Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003, the name of the paramedical practitioner is liable to be removed from the State Register of paramedical practitioners.
2. This certificate is renewable on payment of fee of Rs.500/- (Rupees five hundred only.)

Form-5**See Rule(13)3**

**HIMACHAL PRADESH PARA MEDICAL COUNCIL
STATE REGISTRAR OF PARA CLINICAL ESTABLISHMENTS**

Sr. No.	Full name (in block letters) with Father's/Husband's name	Residential/ professional address	Qualifications and date when obtained with name of the University or Board	Fee paid	Age with date of birth	Place practice and system in which practicing/ will practice
1	2	3	4	5	6	7

FORM-K**[See rule 16 (4)]**

FORM OF APPLICATION FOR RENEWAL OF REGISTRATION AS PARAMEDICAL PRACTITIONERS

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Paramedical Council,
Old Dental College Building, I.G.M.C. Shimla 171001.

Sir,

I beg to apply for the renewal of registration No. _____ which expires on _____.

As required I submit the following documents/information, namely:-

- (i) A demand Draft No. _____ dated _____ for five hundred rupees drawn on a _____ Scheduled Bank as renewal fee in favour of the Himachal Pradesh Paramedical Council, Shimla-171001 :
- (ii) The original registration certificate;
- (iii) Telephone No. _____
- (iv) Any other information:

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Full residential and office address:

Dated _____

Place : _____

By order,

Sd/-

Secretary (Health).

कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला -2, 2 फरवरी, 2012

संख्या एग्र-ए (3)-5/2005.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध— “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) ।

उपाबन्ध—“क ”

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—मण्डल अभियन्ता (भू-संरक्षण) ।
2. **पदों की संख्या.**— 3 (तीन) ।
3. **वर्गीकरण.**— वर्ग-I (राजपत्रित) ।
4. **वेतनमान.**—10300—34800 रूपए जमा 5000 रूपए ग्रेड पे ।
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—लागू नहीं ।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—लागू नहीं ।
7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**—लागू नहीं ।
8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.**—आयु : लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं ।
9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10. **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.— उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारियों/सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (कृषि इंजीनियरिंग)/बी.टेक (कृषि इंजीनियरिंग)/बी.ई.(कृषि इंजीनियरिंग)/बी.ई. (सिविल इंजीनियरिंग)/कृषि में ए.एम.आई.ई./सिविल इंजीनियरिंग की शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, के पद के पदधारियों में से (सर्वथा वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अधधीन) स्थानान्तरण द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारियों का, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने सर्वग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यकाल से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती और इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल को डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगबा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुसैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सामे गाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रमन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग, तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरु पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर

उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोलन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्ध के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उर्तीण करनी होगी।?

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (दों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of Government Notification No. Agr.- A(3)-5/2005, dated 02-02-2012 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2 February, 2012

No. Agr. A(3)-5/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Divisional Engineer(Soil Conservation) Class-I (Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely :-

1. **Short title and Commencement.**— (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Divisional Engineer (Soil Conservation), Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, H. P.

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Agr.).

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIVISIONAL ENGINEER(SOIL CONSERVATION) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1. **Name of the post.**— Divisional Engineer(Soil Conservation).
2. **Numbers of posts.**—3 (Three).
3. **Classification.**—Class-I (Gazetted).
4. **Scale of Pay .**— ₹ 10300-34800 + ₹ 5000 Grade Pay.
5. **Whether selection post or Non-selection post.**— Not applicable.
6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable.
7. **Minimum Education and other qualification required for direct recruits.**—Not applicable.
8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.**—Age: Not applicable. **Educational Qualification** : Not applicable.
9. **Period of probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 % by transfer.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation /transfer is to be made.—By transfer from amongst the incumbents of the post of Sub-Divisional Soil Conservation Officers/Assistant Soil Conservation Officers(strictly in order of seniority and subject to fitness) possessing the qualification of B.Sc.(Agr. Engineering)/B. Tech. (Agriculture Engineering/B.E (Agr. Engineering)/B.E.(Civil Engineering)/AMIE in Agriculture/Civil Engineering from recognized University with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal /Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I— For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kasapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Sidh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules ;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.